न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 95/2021 Gcms No. 2021/267
दायरा तिथि : 01.10.2021
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 01.12कृ2021 फाईनल डिक्री दिनांक 25-5-2022

वादीगण :–

1. घीसाराम पुत्र मोतीरामजी
2. प्रकाशकुमार पुत्र मोतीरामजी
3. बाबुलाल पुत्र मोतीरामजी
4. रमेशकुमार पुत्र मोतीरामजी तमाम जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण सादडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केसीबाई पत्नि ओटारामजी
2. किकी पुत्री ओटारामजी
3. पुनाराम पुत्र ओटारामजी
4. पुष्पा पुत्री ओटारामजी
5. हरू पुत्री ओटारामजी तमाम जातिगण चौधरी
   निवासीगण सादडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 25-5-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 886, 887/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.30 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रति एवं राजस्व नक्शा की प्रति पेश की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर समस्त प्रतिवादीगण प्रशासन गांवो क संग अभियान, 2021 केम्प लाटाडा में उपस्थित हुये। वादी पक्ष की ओर से वादी संख्या–03 भी उपस्थित हुये। उपस्थित प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

मजमा–ए–आम में उपस्थित पक्षकारो द्वारा रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त करने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 886, 887/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.30 रूपये के संबध में वादी संख्या 01 से 04 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का क्रमशः 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 हिस्सा अनुसार दिनांक 01.12.2021 को बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/530 दिनांक 20.05.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गईः–

क्र0 स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	केसीबाई पत्नि ओटाराम हि0 1/5 कीकी पुत्री ओटाराम हि0 1/5 पुनाराम पुत्र ओराम हि0 1/5 पुष्पा पुत्री ओटाराम हि0 1/5 हरू पुत्री ओटाराम हि0 1/5 जाति चौधरी सा. देह खातेदार	886/1 887/1 887/3	0.32 हैक्टर 0.46 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	1.60 2.30 0.25	आसमानी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	
02	घीसाराम पुत्र मोतीराम 1/4 प्रकाशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 बाबुलाल पुत्र मोतीराम 1/4 रमेशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 जाति चौधरी सा. देह खातेदार	886 887/2 887/4	0.54 हैक्टर 0.24 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	2.70 1.20 0.25	गुलाबी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 95/2021 Gcms No. 2021/267
अनवान घीसाराम वगैरा बनाम केसीबाई वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में मौके परवादी एवं प्रतिवादी सूचना के भी उपस्थित नही होने से कब्जा अनुसार बंटवारा रिपोर्ट बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के पेश की गई। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्डेड खातेदारो के मध्य न्यायालय आदेशानुसार विभाजन करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने से वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री प्रदीप चौधरी ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 886, 887/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.30 रूपये के संबध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/ 530 दिनांक 20.05.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	केसीबाई पत्नि ओटाराम हि0 1/5 कीकी पुत्री ओटाराम हि0 1/5 पुनाराम पुत्र ओराम हि0 1/5 पुष्पा पुत्री ओटाराम हि0 1/5 हरू पुत्री ओटाराम हि0 1/5 जाति चौधरी सा.देह खातेदार	886/1 887/1 887/3	0.32 हैक्टर 0.46 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	1.60 2.30 0.25	आसमानी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	
02	घीसाराम पुत्र मोतीराम 1/4 प्रकाशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 बाबुलाल पुत्र मोतीराम 1/4 रमेशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 जाति चौधरी सा. देह खातेदार	886 887/2 887/4	0.54 हैक्टर 0.24 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	2.70 1.20 0.25	गुलाबी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 8.30 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लाटाडा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 25-5-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादीगण :–

1. घीसाराम पुत्र मोतीरामजी
2. प्रकाशकुमार पुत्र मोतीरामजी
3. बाबुलाल पुत्र मोतीरामजी
4. रमेशकुमार पुत्र मोतीरामजी तमाम जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण सादडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केसीबाई पत्नि ओटारामजी
2. किकी पुत्री ओटारामजी
3. पुनाराम पुत्र ओटारामजी
4. पुष्पा पुत्री ओटारामजी
5. हरू पुत्री ओटारामजी तमाम जातिगण चौधरी
   निवासीगण सादडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 95/2021 Gcms No. 2021/267

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 886, 887/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.6600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.30 रूपये के संबध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/ 530 दिनांक 20.05.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	केसीबाई पत्नि ओटाराम हि0 1/5 कीकी पुत्री ओटाराम हि0 1/5 पुनाराम पुत्र ओराम हि0 1/5 पुष्पा पुत्री ओटाराम हि0 1/5 हरू पुत्री ओटाराम हि0 1/5 जाति चौधरी सा.देह खातेदार	886/1 887/1 887/3	0.32 हैक्टर 0.46 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	1.60 2.30 0.25	आसमानी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	
02	घीसाराम पुत्र मोतीराम 1/4 प्रकाशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 बाबुलाल पुत्र मोतीराम 1/4 रमेशकुमार पुत्र मोतीराम 1/4 जाति चौधरी सा. देह खातेदार	886 887/2 887/4	0.54 हैक्टर 0.24 हैक्टर 0.05 हैक्टर	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	2.70 1.20 0.25	गुलाबी रंग
		03	0.83 हैक्टर	बा.दो.	4.15	

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 8.30 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लाटाडा को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-5-2022 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली (राज.)

Scanned with CamScanner